

पत्रांक : आ0सं0-विविध/व0ले0प0/2018-19/कैम्प/ 94 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

समस्त लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक
समस्त सहायक लेखाकार/लेखाकार/लेखाकर्मी

वाणिज्य कर मुख्यालय के परिपत्र सं0- स्था0-1-राज0-अनु0/2018-19/
3932 /1819071 /वाणिज्य कर लखनऊ दि0-07.12.2018 द्वारा संवेदनशील प्रशासन
के दायित्व के दृष्टिगत सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों तथा मृतक आश्रित
के सेवा सम्बन्धी समस्त प्रकरणों को संकलित कर उनका त्वरित निस्तारण कराने हेतु
सेवा माह दि0-10.12.2018 से दि0-10.01.2019 तक संचालित करने का निर्णय लिया
गया है।

उक्त पत्र में दिए गए निर्देश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि
परीक्षण/भुगतान हेतु प्रस्तुत अपने कार्यालय के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों व
कर्मचारियों तथा मृतक आश्रित सम्बन्धी समस्त प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से
करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत प्रकरणों के निस्तारण में अपने दायित्वों का निर्वहन करने
में आपके स्तर पर अनावश्यक विलम्ब कदापि न किया जाय।

(शैलेश गिरि)

एडी0कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पृ0प0सं0 एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
2. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कमिश्नर कैम्प) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ।

एडी0कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ